दिनांक: 23.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर ,उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह,सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 18 घंटे में हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 छुरा व 01 मोबाईल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.24 को वादी राहुल कुमार पुत्र मोहकम निवासी ग्राम रादौर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत वादी की मौसेरी बहन निवासी ग्राम बीतिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की अभियुक्त **सागर पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम डेरिया रिछोटी थाना मुण्डाली जनपद मेरठ** द्वारा गला रेतकर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-195/24 धारा 302 भादवि बनाम सागर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 23.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्त सागर पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम डेरिया रिछोटी थाना मुण्डाली जनपद मेरठ** को मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर बडे ओवर ब्रिज से पहले कस्बा देवबन्द के पास से समय गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त सागर उपरोक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 छुरा व मृतका के मोबाईल फोन को कस्बा गंगोह मे रामकिशन मेहता के आम के बाग से बरामद किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सागर उपरोक्त ने बताया कि मैंने बी.ए तक पढाई की है व सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं और मृतका पिछले लगभग 03-04 वर्षो से अच्छे दोस्त थे। जैसे ही मृतका को पता चला की मैं शादीशुदा हूँ तो उसने पिछले कुछ दिनों से मुझसे बात करना कम कर दिया था। बाद में मुझे पता चला की उसकी दोस्ती किसी और लड़के से है जिसकी वजह से मृतका ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। दिनांक 22.05.2024 को मैं मृतका से मिलने गया और मुझसे फोन पर बात करने को लेकर हम दोनो के बीच में कहासुनी हुई। मृतका मुझसे बात करने के लिये मना करने लगी तभी मैंने क्रोध में आकर छुरे से उसकी हत्या कर दी और मृतका का मोबाईल फोन व छुरे को कस्बा गंगोह मे आम के बाग में छुपा दिया था जिसे मैंने पुलिस टीम को आज बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सागर पुत्र देवेन्द्र गुर्जर निवासी डेरिया रिछोटी थाना मुडाली जिला मेरठ

बरामदगी विवरण –

- 01 छुरा (घटना में प्रयुक्त)
- 01 मोबाईल रियलमी कम्पनी (मृतका का)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक एच.एन. सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 संदीप सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर ,उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारानसहारनपुर , पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा बोर 315 व 02 जिन्दा कारतूस बोर 315बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुरके निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रणअवैध , शस्त्रो के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 23.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा शातिर 01 अभियुक्त **रविन्द्र पुत्र अजमेर निवासी ग्राम घाटहेडा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर** को घाटेडा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से01 तमंचा बोर 315व 02 जिन्दा कारतूस बोर 315बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं158 0/3 धारा 24/ आर्म्स एक्ट 25पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि जो तमंचा पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं आस पास के क्षेत्रों के लोगो को डराने धमकाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रविन्द्र पुत्र अजमेर निवासी ग्राम घाटहेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण–

- 01तमंचा बोर 315व 02 जिन्दा कारतूस बोर 315

अभि को गिरफ्तार करने वाली 0पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ जसवीर सिंह 0नि0थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. का रोहित राणा 1799 0थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में हत्या के प्रयास के 03 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 22.05.2024 को वादी श्री रफल सिंह पुत्र करताराम निवासी ग्राम कपासी थाना नागल जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त 1. अनित उर्फ राहुल 2. दीपक पुत्रगण रविन्द्र 3. रविन्द्र पुत्र रकमसिंह निवासीगण ग्राम कपासी थाना नागल जिला सहारनपुर 4. दीपक का बहनोई अजय उर्फ विक्की पुत्र विनोद निवासी ग्राम उमरी थाना रामपुर मनिहारन 5.अनित का दोस्त गौरव पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम पावती थाना कैराना जिला शामली द्वारा एकराय होकर वादी के घर मे घुसकर वादी के पुत्र मोहित व वादी पर चाकुओ से हमला करके गंभीर रुप से घायल कर देना के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 119/24 धारा भादवि 147/148/452/323/307/504 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, उपरोक्त घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण **1.रविन्द्र पुत्र रकम सिंह 2.अनित पुत्र रविन्द्र 3.दीपक पुत्र रविन्द्र निवासीगण कपासी थाना नांगल जिला सहारनपुर** को ग्राम कपासी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम तीनो व हमारे 02 अन्य साथी अजय व गौरव का रफल सिंह के साथ खेत की मेड काटने को लेकर विवाद हो गया था। तभी हम सबने मिलकर उपरोक्त झगडे का बदला लेने के लिये रफल सिंह के घर में घुसकर रफल व उसके पुत्र के साथ गाली गलौच कर,जान से मारने की नीयत से उन दोनो के साथ मारपीट की। पुलिस टीम द्वारा जो चाकू दीपक से बरामद किया है उसी से रफल व उसके पुत्र पर हमला किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. रविन्द्र पुत्र रकम सिंह निवासी कपासी थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. अनित पुत्र रविन्द्र निवासी कपासी थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. दीपक पुत्र रविन्द्र निवासी कपासी थाना नांगल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 चाकू (घटना में प्रयुक्त) (अभियुक्त दीपक के कब्जे से)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. व0उ0नि0 ओमेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 असगर अली थाना नांगल जिला सहारनपुर

4. उ0नि0 यूटी शुभम चौधरी थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. है0का0 380 आजाद सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर

दिनांक: 23.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पेटी (45 पाऊच) देशी शराब महबूबा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मौ0 सुहैल पुत्र नेक मौहम्मद निवासी गली नं0- 5 इन्द्रा चौक थाना मण्डी सहारनपुर को शकूरी मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 पेटी (45 पाऊच) देशी शराब महबूबा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 210/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। देशी शराब सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। कल जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 सुहैल पुत्र नेक मौहम्मद नि0 गली नं0 5 इन्द्रा चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 पेटी (45 पाऊच) देशी शराब महबूबा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी , सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 110 ग्राम चरस नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त वसीम पुत्र नूरआलम निवासी विश्वास नगर कालोनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को कस्ब मण्डी से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 110 ग्राम चरस नाजायज बरामद हई । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 211/24 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैने यह चरस शहर के बाहर एक अन्जान व्यक्ति से खरीदी थी जिसके नाम पते के बारे में मुझे जानकारी नही है। मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वसीम पुत्र नूरआलम निवासी विश्वास नगर कालोनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- **110** ग्राम चरस नाजायज।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 363/23 धारा 380,411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 23.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 16 घंटे में लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, लूटे गये शतप्रतिशत 2320/- रुपये एंव घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.24 को वादी श्री विकास कुमार पुत्र श्री जयकुमार निवासी ग्राम रंडेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत वादी के साले संदीप कुमार की गाडी बैलेरो पिकअप को रुकवाकर तमंचे से आंतिकत करते हुए 2320/- रूपये लूट लेने के सम्बन्ध मे थाना नकुड पर मु0अ0सं0 150/2024 धारा 392भादवि बनाम 1.उत्तम पुत्र सुधीर निवासी ग्राम चन्द्रपालखेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर 2. सागर पुत्र नामालूम निवासी ग्राम लतीफपुर पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट की घटनाओं की रोकथाम व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के 02 वांछित अभियुक्तगण **1.उत्तम पुत्र सुधीर निवासी ग्राम चन्द्रपालखेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर 2.सागर पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम लतीफपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ककराला तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उत्तम के कब्जे से लूटे गये शत प्रतिशत 2320/- रुपये व अभियुक्त सागर उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उत्तम व सागर उपरोक्त ने एक स्वर मे बताया कि हम दोनो व हमारे 02 अन्य साथी कम पढे लिखे हैं व मजदूरी करते हैं।जिसके कारण हम सभी को पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत रहती थी। हम चारो ने पैसो के लिये किसी राहगीर को सुनसान रास्ते पर लूटने की योजना बनाई थी। इसी योजना के तहत हम चारों मिलकर ग्राम लतीफपुर रोड के पास किसी राहगीर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि तभी हमने शाहजहाँपुर की तरफ से आ रही एक बुलेरो पिकअप गाड़ी को लिफ्त माँगने के लिये रुकवाई और चालक को तमंचा दिखाकर उसकी जेब में रखे 2320/-रूपये उससे छीन लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1.उत्तम पुत्र सुधीर निवासी ग्राम चन्द्रपालखेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर
2.सागर पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम लतीफपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 2320 रुपये (अभियुक्त उत्तम उपरोक्त से बरामद)
- 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर (अभियुक्त सागर उपरोक्त से बरामद)

गिरफ्तार अभियुक्त सागर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 368/23 धारा 380/411/457 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त उत्तम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 67/24 धारा 25/3 आयुध अधि0 व 120 बी भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रोहताश बैसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 558 संदीप कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 23.05.2024

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष एडीजे-12 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगणों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 01-01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 29.05.2014 को वादी उपनिरीक्षक आषाराम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1.शहजाद पुत्र वहीद 2.शब्बीर पुत्र नसीर 3.चाँद (मृतक) निवासीगण ग्राम समसपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के कब्जे से 1 बुलेरों नं0 UP 11 A 1212 तथा पीछे का नं0 HR 02 2810 जिसमें 54 किलो डोडा पोस्त चुर्ण बरामद होने की सूचना पर मु0अ0सं0 144/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 39/2014 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-12 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-12 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 23.05.2024 को अभियुक्तगण 1. शहजाद पुत्र वहीद निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा 2. शब्बीर पुत्र नसीर उस्मान पुत्र हाजी नासिर मु0अ0सं0 144/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 2 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- अभियुक्त चाँद की मृत्यु हो चुकी है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सुषील यादव व ऋतू रानी
विवेचक उ0 नि0 ब्रजभूषण शर्मा
पैरोकार का0 104 सलमान थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।